उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापक के पदों पर द्विवर्षीय बी0टी0सी0 / विशिष्ट बी0टी0सी0 / द्विवर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू प्रवीणताधारी / डी0एड0(विशेष शिक्षा) / बी0एल0एड0 अभ्यर्थियों के चयन / नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

1– **आवेदन हेतु पात्रताः–**

क– शैक्षिक अर्हता– प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 16.06.2016 तक भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयाोजित द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, द्विवर्षीय उर्दू प्रवीणता बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण अथवा एन0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमन्यता प्राप्त डी0एड0(विशेष शिक्षा) / चार वर्षीय बी0एल0एड0 प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किये हों। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–5 हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किये हों।

शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी वह होंगे जिन्होने न्यूनतम 60 प्रतिशत (90 अंक) अंक प्राप्त किये हों, लेकिन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग श्रेणी / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पूर्णांक 55 प्रतिशत (82 अंक) होगा।

ख– आयु– प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2016 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामलों में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष अधिक होगी।

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए आयु की उच्चतर सीमा में छूट '' यदि सेना के किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है, और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।'' लेकिन अभ्यर्थी की वास्तविक अधिवर्षता आयु (62 वर्ष) से अनधिक होनी चाहिए।

परन्तु यह भी कि विकलांग अभ्यर्थियों के मामलें में उच्चतर आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी किन्तु किसी भी दशा में नियुक्ति की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 55 वर्ष से अधिक नही होगी।

परन्तु यह भी कि दो वर्षीय बी0टी0सी0 / विशिष्ट बी0टी0सी0 / दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू प्रवीणताधारी, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा से अधिक है तथा उन्हें विभागीय प्रक्रिया में नियुक्ति नहीं दी जा सकी है, तो उनके लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के परन्तुक में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उतने वर्ष की छूट देय होगी, परन्तु किसी भी दशा में नियुक्ति के दिनांक को अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2– राष्ट्रीयता एवं निवासः– ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हो, तथा उत्तर प्रदेश में आवेदन की तिथि के पूर्व निरन्तर 05 वर्ष से निवास कर रहे हों। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन/सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3– आरक्षणः– अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुरुप देय होगा।

भूतपूर्व सैनिक(स्वयं)/विकलांग(दिव्यांग)/स्वं0सं0से0 आश्रित अभ्यर्थियों को भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त अधिनियम में उल्लिखित आरक्षण देय होगा। आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है।

4– वैवाहिक स्थितिः– चयन/नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हों।

5– चरित्रः– ऐसे अभ्यर्थी जो संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित किये गये हों, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

6– आवेदन प्रक्रिया–

(क) किसी भी अभ्यर्थी को हार्ड कापी में आवेदन नहीं करना है।

(ख) इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट http://upbasiceduparishad.gov.in/ पर संगत सूचनाओं सहित आनलाइन ई–आवेदन करना होगा। इस हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, द्विवर्षीय उर्दू प्रवीणता बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण जनपद (जहॉ के लिए उनका चयन किया गया हो) एवं डी0एड0 (विशेष शिक्षा)/चार वर्षीय बी0एल0एड0 प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी एक प्रथम वरीयता जनपद हेतु आवेदन करना होगा। इसी प्रकार हापुड़, बागपत, जालौन जनपद में जहॉ के लिए पद विज्ञापित नहीं है, उन जनपदों के प्रशिक्षण उपाधिधारी किसी अन्य जनपद में प्रथम वरीयता जनपद के आधार पर आवेदन के पात्र होंगे।

(ग) प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन/नियुक्ति हेतु एन0आई0सी0 द्वारा विकसित वेबसाइट पर प्रारम्भ होने की तिथि से अन्तिम निर्धारित तिथि को सायं 5 बजे के मध्य ऑनलाइन ई–आवेदन करना होगा।

(घ) अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित ई–आवेदन पत्र के प्रारुप में समस्त सूचनाएं देनी होगी, जिसमें आवेदन पत्र भरे जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नही होगा। त्रुटिपूर्ण सूचना देने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(ड.) ई–आवेदन पत्र भरने हेतु प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा बहुप्रसारित दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जायेगा, जिसमें जनपद के रिक्तियों की संख्या, ई–आवेदन पत्र भरे जाने की समय सारिणी एवं वेबसाइट का पता भी निर्दिष्ट किया जायेगा।

(च) अभ्यर्थियों द्वारा एक जनपद में ही आवेदन किया जायेगा जिसके आधार पर पद उपलब्ध होने की दशा में अभ्यर्थी किसी अन्य जनपद की द्वितीय काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा।

(छ) अभ्यर्थियों को ई–आवेदन भरने हेतु सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ई–चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिग कार्यदिवस के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन ई–आवेदन पत्र पूर्ण करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी सभी बैंकों के ATM Cum Debit cards/ Credits Cards तथा SBI Internet Banking द्वारा भी आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ज) अभ्यर्थी द्वारा अपने ई–आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में रू0 10/– के नानजूडिसिएल स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र चयन समिति के समक्ष काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

(झ) अभ्यर्थियों द्वारा अपने ई–आवेदन पत्र में जो सूचनाएं अंकित की जायेंगी, विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे, जिस श्रेणी के आरक्षण अथवा विशेष आरक्षण का दावा किया जायेगा, उसी का लाभ अभ्यर्थी को चयन के समय दिया जायेगा।

7– आवेदन शुल्क–

क– सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ई–आवेदन हेतु रू0 500/– एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 200/– सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम से ई–चालान द्वारा प्रदेश के किसी भी जनपद की स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में जमा किया जाना होगा।

ख– विकलांग(दिव्यांग) अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

8– चयन समिति– अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (यथा संशोधित) में प्राविधानित निम्नलिखित गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी–

क– प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (सम्बन्धित जनपद)	–	**अध्यक्ष**
ख– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	–	**सदस्य सचिव**
ग– सम्बन्धित जनपद के मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज की वरिष्ठतम प्रधानाचार्य।	–	**सदस्य**
घ– जिलाधिकारी (सम्बन्धित जनपद) द्वारा नाम निर्दिष्ट एक भाषा विशेषज्ञ यथा स्थिति हिन्दी, उर्दू या अन्य भाषा	–	**सदस्य**

यदि उपर्युक्त रीति से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से ऐसे जाति/जनजाति या वर्ग जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, के व्यक्तियों को चयन समिति के सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

उक्तवत गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा चयन/नियुक्ति से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

9– चयन प्रक्रिया–

क– अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) तथा चयनोंपरान्त अध्यापक की तैनाती अध्यापक सेवानियमावली 2008 (अद्यतन यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा। चयन/नियुक्ति हेतु वरिष्ठताक्रम का निर्धारण अध्यापक सेवा नियमावली के परिशिष्ट 'क' में विद्यमान प्रक्रियानुसार तैयार किया जायेगा।

अभ्यर्थी के चयन के लिए गुणवत्ता अंक का निर्धारणः–

परीक्षा/उपाधि का नाम	**गुणवत्ता अंक**		
हाईस्कूल	अंको का प्रतिशत/10		
इण्टरमीडिएट	अंको का प्रतिशत x 2/10		
स्नातक उपाधि	अंको का प्रतिशत x 4/10		
प्रशिक्षण (द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, द्विवर्षीय उर्दू प्रवीणता बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं डी0एड0 (विशेष शिक्षा))	**प्रथम श्रेणी** (निर्गमन संस्था द्वारा प्रदत्त)	**द्वितीय श्रेणी** (निर्गमन संस्था द्वारा प्रदत्त)	**तृतीय श्रेणी** (निर्गमन संस्था द्वारा प्रदत्त)
(क) सिद्धान्त	12	6	3
(ख) प्रयोगात्मक	12	6	3

बी0एल0एड0 अभ्यर्थियों के लिए

परीक्षा/उपाधि का नाम	**गुणवत्ता अंक**
हाईस्कूल	अंको का प्रतिशत/10
इण्टरमीडिएट	अंको का प्रतिशत **x** 2/10
बी0एल0एड0 (प्रथम तीन वर्ष)	बी0एल0एड0 के प्रथम तीन वर्षो में प्राप्त कुल अंको का प्रतिशत **x** 4/10
बी0एल0एड0 (अन्तिम/चतुर्थ वर्ष)	बी0एल0एड0 के अन्तिम/चतुर्थ वर्ष में प्राप्त कुल अंको का प्रतिशत **x** 3/10

ख– चयन/नियुक्ति उपर्युक्त रीति से अवधारित मेरिट के अनुसार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये ई–आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परिशिष्ट– क में विद्यमान प्रक्रियानुसार जनपद स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार

की जायेगी। तत्पश्चात वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

ग– अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। गुणवत्ता अंक तथा आयु दोनों समान होने पर अभ्यर्थी का चयन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जायेगा।

घ– उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत कर काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके शैक्षिक अभिलेखों की जॉच कर मूल अभिलेखों को जमा करा लिया जायेगा। सही पाये गये अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं से करा लिया जाए।

ड़– ऐसे अर्ह चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित कराकर कराया जाना अनिवार्य होगा।

च– अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार सहायक अध्यापक के निर्धारित वेतनमान में एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन यथा संशोधित) के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में की जायेगी।

10– प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के चयन/नियुक्ति हेतु समयसारिणी

1–	जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि।	28.06.2016 तक
2–	ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन/ आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारम्भ होने की तिथि।	30.06.2016 अपरान्ह से
3–	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अन्तिम तिथि।	11.07.2016 सायं 5 बजे तक
4–	ई–चालान फार्म द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि।	13.07.2016
5–	चालान भरते हुए आवेदन पूर्ण करने की अन्तिम तिथि	15.07.2016 सायं 5 बजे तक
6–	आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थियों को दी जाने वाली अवधि	19.07.2016 से 20.07.2016 सायं 5 बजे तक

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।